न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 04/25 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2025/14

अनवान्

1. जया कुंवर पिता जीवनसिंह नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सुरजकुंवर निवासी रोयडा तहसील मावली।
2. श्री लोकेन्द्र सिंह पिता रतन सिंह राजपूत निवासी रोयडा तहसील मावली।
3. श्री आजाद सिंह पिता रतन सिंह नाबालिग जरिए प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती कृष्णा कुंवर राजपूत निवासी रोयडा तहसील मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री जीवन सिंह पिता इन्द्र सिंह राजपूत निवासी रोयडा तहसील मावली।
2. श्री रतनसिंह पिता इन्द्र सिंह राजपूत निवासी रोयडा तहसील मावली।
3. श्री भंवरसिंह पिता इन्द्र सिंह राजपूत निवासी रोयडा तहसील मावली।
4. श्रीमती राज कुंवर पत्नी इन्द्र सिंह राजपूत निवासी रोयडा तहसील मावली।
5. श्री रतन सिंह पिता इन्द्रसिंह राजपूत निवासी रोयडा तहसील मावली।
6. श्री जितेन्द्र सिंह पिता अभय सिंह राजपूत निवासी रोयडा तहसील मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का ढुंढिया तहसील मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 10.06.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रोयडा पटवार हल्का ढुंढिया तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 151, 152, 159, 170, 175, 203, 224, 319, 320, 345, 517/175 किता 11 कुल रकबा 3.4237 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हमारे मौरूस इन्द्रसिंह पिता रघुनाथसिंह (जो हमारे प्रार्थीगणों के दादा है) के नाम पर दर्ज है।
2. यह कि हम प्रार्थीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

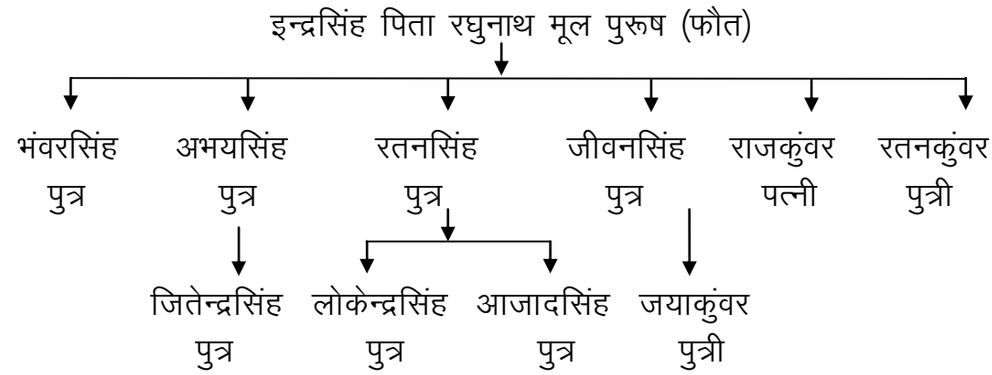

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष इन्द्रसिंह पिता रघुनाथसिंह जी थे जिनके चार पुत्र व दो पुत्रीया (विपक्षी संख्या 1 से 6) है तथा विपक्षी संख्या 1 जीवनसिंह के पुत्री (प्रार्थी संख्या 1 है) व विपक्षी संख्या 2 रतनसिंह के पुत्र (प्रार्थी संख्या 2 व 3) हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में हमारे मौरूस इन्द्रसिंह पिता रघुनाथसिंह (जो हमारे प्रार्थीगणों के दादा है) के नाम पर दर्ज हैं। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। इस प्रकार हमारे दादाजी के नाम दर्ज कृषि भूमि हम प्रार्थीगणों की पैतृक सम्पति हैं। जिनमें हम प्रार्थीगणों को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुका है और उक्त भूमि में हम अपने दादाजी के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने हिस्से भूमि पर हम वादीगण काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। हम प्रार्थीगणों की पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगणों को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा हम प्रार्थीगण प्रार्थी संख्या 1 अपने पिता विपक्षी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने पिता विपक्षी संख्या 2 के हिस्सा भूमि पर अपने हक हिस्से अनुसार कब्जे काश्त है अर्थात् हम प्रार्थीगण प्रार्थी संख्या 1 अपने पिता विपक्षी संख्या 1 की हिस्सा भूमि में 1/2 हिस्से भूमि पर व प्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने पिता विपक्षी संख्या 2 के हिस्सा भूमि में 1/3–1/3 हिस्से भूमि पर काबिज हो हमारी माता की मदद से काश्त करते आ रहे है और हमारे भरण पोषण का मुख्य स्त्रोत भी यही कृषि भूमि है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है लेकिन हमारे हक हिस्से की भूमि वर्तमान में हमारे नाम पर अंकित नहीं है और वर्तमान में जमीनों के भाव में काफी तेजी होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 के मन में लोभ व लालच की भावना पैदा हो गई है जो लोभ लालच से वशीभूत होकर हमे हमारे हक हिस्से से वंचित करने की बदनियति से कृषि भूमि को अपने नाम पर दर्ज करा अंकित सम्पूर्ण हिस्से भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 व 2 को अपने सम्पूर्ण हिस्से को रहन, बैह, बक्षीस द्वारा हस्तान्तरित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण आराजीयात कृषि भूमि जो हमारी पैतृक कृषि भूमि है उसमें अपने हिस्से की भूमि के खातेदारी हक की घोषणा करा अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने के अधिकारी हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण की ओर से माननीय आप न्यायालय में यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

4. यह कि हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित भूमि हमारी पैतृक सम्पति है जिसमें हम प्रार्थीगण को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन हमारे हक हिस्से की भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 अपने नाम पर दर्ज करा कर नाजायज फायदा उठा विपक्षी संख्या 1 व 2 हमको हमारे जायज हक व अधिकारों से वंचित करने की नियत से अपने नाम दर्ज करा कुलिया भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहा है जबकि विपक्षी संख्या 1 व 2 को सम्पूर्ण भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 भूमि को अन्य को रहन, बैह, बक्षीस द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे। हम प्रार्थीगणों को हमारे हिस्से भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत करावे एवं राजस्व रेकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं क्षति होगी एवं व्यर्थ की मुकदमेंबाजी बढेगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंका जाना असंभव होगा बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी संख्या 1 से 6 को किसी प्रकार की असुविधा या क्षति नहीं होगी। सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 08.12.2024 को पैदा हुआ जब विपक्षी संख्या 1 व 2 ने हम प्रार्थीगणों को हमारे हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीयां दी और समझाईश करने पर भी नहीं माने जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का जो हम प्रार्थीगणों की पैतृक सम्पति है उसमें विपक्षी संख्या 1 के हिस्सा कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा भूमि व विपक्षी संख्या 2 के हिस्सा कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 2 व 3 को 1/3–1/3 हिस्सा भूमि का काश्तकार घोषित फरमाया जाकर हमारा नाम राजस्व रेकार्ड, खेवट, खतौनी जमाबन्दी में अंकित कराया जावें। हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विरूद्व विपक्षीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी[illegible] अपने हिस्से भूमि को रहन, बैह, बक्षीस, विक्रय व अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित न करे, हम प्रार्थीगणों को हमारे हिस्से कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु विपक्षी संख्या 8 ताफैसला वाद पंजीयन नहीं करे, विपक्षी संख्या 7 व 8 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, न नामान्तरण खोले, न स्वीकृत करें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
7. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. ***<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>*** प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 6 के दादा एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 के पिता/पति इन्द्रसिंह के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। इन्द्रसिंह फौत हो चुके हैं। प्रार्थीगण वर्तमान में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा के नाम दर्ज है। रहा प्रश्न मौरूसी सम्पति का तो उक्त तथ्य इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से तय नहीं किये जा सकते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. ***<u>सुविधा का संतुलन–</u>*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के दादा इन्द्रसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। इन्द्रसिंह फौत हो चुके हैं। यदि विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे विरासत का नामान्तरकरण पारित नहीं हो पायेगा जिससे विपक्षीगण को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व साबित होने से सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में इन्द्रसिंह के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो विरासत का नामान्तरकरण पारित नहीं हो पायेगा एवं विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा रोयडा पटवार हल्का ढुंढिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 118 पर दर्ज आराजी नम्बर 151, 152, 159, 170, 175, 203, 224, 319, 320, 345, 517/175 किता 11 कुल रकबा 3.4237 हेक्टेयर भूमि खातेदार इन्द्रसिंह पिता रघुनाथ सिंह राजपूत के नाम तन्हा खातेदार के रूप में दर्ज हैं। खातेदार इन्द्रसिंह पिता रघुनाथ सिंह फौत हो चुके है जिनके विरासत का नामान्तरकरण पारित नहीं हुआ हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मृतक खातेदार इन्द्रसिंह के नाम चली आ रही हैं। प्रार्थीगण व विपक्षीगण मृतक खातेदार इन्द्रसिंह जी के वारिस हैं। यदि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे इन्द्रसिंह के विरासत का नामान्तरकरण पारित नहीं हो पायेगा तथा विपक्षीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। चूंकि प्रार्थीगण स्वयं को इन्द्रसिंह जी के वारिस होना बताकर वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा चाही गई है परन्तु इन्द्रसिंह जी के प्रथम श्रेणी के वारिस विपक्षी संख्या 1 से 5 है इसलिए यदि विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है इससे उनके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा उन्हे काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested